संक्षिप्त

एक मुश्त कर जाम कराने पर छुट

मदनगंज-किशनगढ़ (निस)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र में तीन सौ वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय एवं सौ वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थानिक सम्पत्तियो भुखण्डों के बकाया नगरीय विकास कर 31 मार्च को 1 एक मुश्त दिनांक 31.03.2024 से पूर्व जमा करवाये जाने पर ब्याज व शास्ती पर शत्-प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही आज दिनांक तक का नगरीय विकास कर एक मुष्त जमा करवाये जाने पर वित्य वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के बकाया कर पर 50 प्रतिषत की छूट प्रदान की जावेगी। इसी क्रम में नगर परिषद द्वारा आज दिनांक 25.02.2025 तक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 130 के तहत् परिषद द्वारा 173 व्यावसायिक/ औद्योगिक/संस्थानिक सम्पति धारियों को बकाया नगरीय विकास कर की राषि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके है। उक्त बकाया नगरीय विकास कर राशि नियत अवधि पश्चात भी जमा नही कराई जा रही है इसके अन्तर्गत कुर्की से पूर्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 (1) तहत् 20 सम्पति धारियो को अन्तिम नोटिस भी जारी किया गया है एवं ऐसी अन्य आवासीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक सम्पत्तियां जो की नगरीय विकास कर के दायरे में आ रही है, जिनकी बकाया राशि जमा नही कराने की स्थिति में परिषद द्वारा नियमानुसार सीज की कार्यवाही की जावेगी। अत: व्यावसायिक/ औद्योगिक/संस्थानिक सम्पति धारियों से अपील की जाती है कि जिनका गृहकर व नगरीय विकास कर बकाया वह राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का दिनांक 31.03.2025 से पूर्व जमा कराकर लाभ उठावे। जिन सम्पत्तिधारियों को परिषद द्वारा स्वामित्व दस्तावेज जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये वह 3 दिवस में परिषद में जमा करावे जिससे सम्पतियों का नया एसेसमेन्ट किया जा सके एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ दिया जा सके।

दस्तावेजों का पंजीयन हो सकेगा

भीलवाड़ा। आमजन की सुविधा एवं विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा समस्त पूर्णकालीन एव पदेन उप पंजीयक कार्यालयों को 31 मार्च 2025 तक समस्त राजकीय अवकाशों (दिनांक 13 मार्च होलिका दहन व 14 मार्च धूलण्डी को छोडकर) में सामान्य कार्य दिवसों के समान कार्यालय खोलकर दस्तावेज पंजीयन हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग वृत्त भीलवाडा के उप महानिरीक्षक ने बताय कि इन राजकीय अवकाशों के दिनों मे समस्त प्रकार के दस्तावेजों का पंजीयन किया जायेगा। इस संदर्भ मे उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग वृत्त भीलवाडा मोहम्मद ताहिर ने बताया कि आमजन की सुविधा को देखते हुए महानिरीक्षक द्वारा राजकीय अवकाशों के दिनो मे पंजीयन कार्यालय खोला गया है। इस दौरान शनिवार, रविवार के साथ महाशिवरात्रि के पर्व पर भी दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अत: आमजन को इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

कार्रवाई की मांग

भीलवाड़ा। विजयनगर मे हुए यौन शोषण व धर्मांतरण कांड के दोषियों को कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए भीलवाड़ा में सकल हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सूचना केंद्र चौराहे पर सैकडों की संख्या में हिंदू समाज के लोगो ने प्रदर्शन का हिस्सा बन विगत दिनों विजयनगर मे हुए हिन्दु छात्राओ के ब्लैकमेल, यौन शोषण व धर्मांतरण कांड को एक सोची समझी साजिश बताते हुए जो कि हिन्दु लडकियों को अपने जाल मे फंसाकर यौन शोषण व धर्मांतरण के इस कांड मे शामिल सभी दोषियों को सरेआम फांसी देने और कोर्ट मे त्वरित कार्रवाई की शुरुआत कर शीघ्र सजा सुनाई जाने की मांग उठाई गई।

मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया

बिजयनगर, (निसं)। शहर के बहु-चर्चित नाबालिग छात्राओं के शोषण कर ब्लेकमैल करने एवं उनके धर्म परिवर्तन करवाने केमामले के विरोध मेंमंगलवार को सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्यान्ह पश्चात सकल जैन समाज का मौन जुलूस महावीर भवन से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गो से होते हुए।

कांग्रेस के पास कोई लक्ष्य नहीं इसलिए कर रही विरोध : गौतम

- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एक दिवसीय दौरे पर आए अजमेर
- केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों निगाई
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया

अजमेर, (कासं)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कांग्रेस का विरोध विरोधात्मक है, जनता के हित में नहीं। उनके विरोध का कारण न उन्हें मालूम है न हमें मालूम है, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों गिनाई। अजमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, जिसमें किसान, युवा, महिलाओं सहित देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार हैए जो पूरी तरह से जनता के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट संतुलित और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गौतम ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने सरकार के कार्यों की सराहना भी की। गौतम ने कहा कि विधानसभा में हो रहे हंगामे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता खुद नहीं जानते कि वे विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के बजाय अपने ही स्वार्थ की राजनीति कर रही है। प्रेसवार्ता में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम के साथ सांसद भागीरथ चौधरी, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी उपस्थित रहे।

श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियो ने अध्यक्ष महेन्द्र बंसल एवं महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में केन्द्रीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यन्त गौतम को होटल क्रास लेन में आयोजित बजट परिचर्चा पर अजमेर पहुंचने पर अभिनंदन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा।

महासंघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण बहुत ही सराहनीय योजना है, लेकिन वर्तमान में अत्यधिक ब्याज के कारण छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रमेश लालवानी ने बताया कि फुटवियर पर 12 प्रतिशत जीएसटी वसूली जा रही है, उन्होंने मांग की कि फुटवियर पर पूर्णत: जीएसटी समाप्त करने अथवा पूर्व की भान्ति पांच प्रतिशत की जाए। दवाइयां पर जीएसटी समाप्त करने, प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा किसानो के ऋण किए है, इसी प्रकार छोटे एवं मध्यम वर्ग के शहरी क्षेत्र के व्यापारियो के ऋणों को भी माफ करने के प्रबंध हो।

प्रचार-प्रसार शिविर आयोजित

अजमेर (कासं)। दुग्ध अभिलेखन केंद्र पुष्कर के अंतर्गत आने वाले गांव किशनपुरा में भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना अजमेर द्वारा पशुपालक जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार शिविर का आयोजन किया गया। सोमवीर सिंह क्षेत्रीय निरीक्षक केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना अजमेर ने योजना की विस्तृत जानकारी दी व पंजीकरण से होने वाले लाभों को विस्तार से समझाया। नस्ल सुधार के लिए अपने पशुओं को गर्भाधान करवाते समय उच्च गुणवत्ता प्राप्त सांड से गर्भित करवाने या कृत्रिम गर्भाधान से गर्भित करवाने का आव्हान किया ताकि किसान की आय में वृद्धि हो, वह पशुपालक की दैनिक स्थिति सुदृढ़ हो। इस शिविर में डॉ. रवीन्द्र सिंह राठौड़, उपनिदेशक, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, पुष्कर ने पशुपालकों को मंगला पशु बीमा योजना, टीकाकरण व कर्मीनाशक दवाइयों के बारे मे भी जानकारी दी गई। साथ ही पशुपालकों को पशुओं के लिए मिनरल मिक्सर क्यों जरूरी व नस्ल सुधार इत्यादि के पंपलेट भी वितरित किए गए।

महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल शोभायात्रा आज

गुलाबपुरा, (निसं)। स्थानीय शहर में महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य आयोजन बुधवार को किया जायेगा। बाबा महाकाल भक्त मंडल द्वारा महाकाल की विशाल भव्य शोभायात्रा की शुरुआत गांधीनगर श्री राधे कृष्णा महाकालेश्वर मंदिर से होगी।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रोहित निर्वाण पुत्र श्री उम्मेद सिंह निर्वाण जाति राजपूत निवासी म.न. 547/50, निर्वान हाउस, पुलिस लाईन, अजमेर की ग्राम लोहागल के भूखंड स. 56 वर्किंग खसरा नम्बर 1190 मे क्षेत्रफल 200 वर्गगज के भूखण्ड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त भूखण्ड खातेदार चन्दगीराम चौधरी सुपुत्र स्व. श्री सुरजाराम चौधरी से जरिये मुख्तयार आम 1. श्री घीसानाथ पुत्र स्व. श्री जोरनाथ, 2. श्री कान्हानाथ पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनाथ जी 3. श्री भंवरनाथ पुत्र स्व. श्री जवाहरनाथ 4. श्रीमति पुसीदेवी पत्नी स्व. श्री जवाहरनाथ 5. श्री सोजीनाथ 6. श्री शंकर नाथ पुत्रगण स्व. श्री हजारीनाथ से श्रीमती दुर्गा देवी उर्फ पूनम भोजवानी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र खरीदा, जरिये मुख्त्यारनामा द्वारा श्री राजेश कुमार गोयल पुत्र श्री मांगीलाल गोयल को पॉवर दी, जिनसे श्रीमती खुशबू यादव पत्नी श्री त्रिलोकचंद यादव ने जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र द्वारा खरीदा इससे जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 08.04.2022 को आवेदक को प्राप्त हुआ। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितबद्धधारी को इस नियमन के संबंध मे आपति हो तो आम सूचना, के 7 दिवस के भीतर अपनी आपति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी। (उपायुक्त उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./PWC/BPAS-2218/2025/252 **आम सूचना** दिनांक: 25/2/25

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन राजस्व ग्राम मदनगंज, खसरा संख्या 381 के भूखण्ड सं. 06 क्षेत्रफल 260.66 वर्गगज 'आदिनाथ कॉलोनी' जयपुर रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान पर आवासीय निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में : भूखण्ड संख्या 05 — पश्चिम में : भूखण्ड संख्या 07

उत्तर में : 30 फीट चौडा रास्ता — दक्षिण में : भूखण्ड संख्या 21

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -प्रभारी (भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर ई ब्लाक योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या E-195 क्षेत्रफल 50 वर्गगज के आवंटी /अन्तरिति (1) श्री प्रेमप्रकाश वैष्णव पुत्र श्रवण कुमार वैष्णव निवासी टेम्पो स्टेण्ड वाली गली माखुपुरा अजमेर की मृत्यु दिनांक 10/6/2024 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसो क्रमश (1) श्रीमती तेज कँवर पत्नि स्व. प्रेम प्रकाश वैष्णव (2) सुश्री खुशबू वैष्णव पुत्री स्व. प्रेम प्रकाश वैष्णव (3) दिपेश वैष्णव पुत्र स्व. प्रेम प्रकाश वैष्णव निवासी टेम्पो स्टेण्ड वाली गली माखुपुरा अजमेर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार दिपेश वैष्णव पुत्र स्व. प्रेम प्रकाश वैष्णव निवासी टेम्पो वाली गली माखुपुरा अजमेर के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29/9/2024 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबध मे किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय मे दर्ज करावें उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

समस्त आम खास व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंको को सूचित किया जाता है प्रार्थिया श्रीमति गंगा पत्नि श्री कालूराम वैष्णव साधू निवासी कानपुरा तहसील मसूदा ने अपने स्वामित्व की जायदाद प्लाट / पट्टा नं. 31 बनाप 264.30 वर्गगज जो कि ग्राम बरल द्वितीय तहसील विजयनगर जिला अजमेर हाल ब्यावर में आबादी खसरा नं. 678 में स्थित है, पर ऋण हेतु Svatantra MHFCL में आवेदन किया है, उक्त जायदाद का आवासीय भूमि का पट्टा सं. 31 ग्राम पंचायत बरल द्वितीय द्वारा रामपाल जाट के पक्ष में दि. 03.01.2018 को जारी कर दि. 09.03.2018 को उपपंजीयक कार्यालय विजयनगर में पंजीबद्ध कराया है। पट्टा जारी होने के पश्चात दि. 01.05.2021 को रामपाल जी जाट की एवं दिनांक 26.11.2019 को चांदी देवी पत्नि रामपाल जाट की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात रामपाल व चांदी देवी जाट के वारिसों पुत्र सांवरलाल, पुत्र कन्हैयालाल, पुत्री सीता जाट एवं पुत्री सीमा जाट द्वारा उक्त आवासीय जायदाद को प्रार्थिया को जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2025 के बेचान कर दिया गया। अतः रामपाल व चांदी देवी जाट के उक्त वारिसों के अतिरिक्त ओर भी कोई भी वारिस हो या उक्त वारिसों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति / एतराज / उजरदारी हो तो प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अवधि में मेरे कार्यालय में लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर प्राप्ति स्वीकृति लेवे, कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर बाद गुजरने मियाद उक्त जायदाद को बंधक रख ऋण स्वीकृति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जावेगी तत्पश्चात किसी की आपत्ति / एतराज / उजरदारी स्वीकार योग्य नहीं होगी एवं ऋण वितरण के पश्चात उक्त जायदाद पर प्रथम प्रभार Svatantra MHFCL का होगा।

-शीतल जैन, एडवोकेट, (पुराना बाजार, सब्जी मंडी रोड, गुलाबपुरा) मो. 9024748727

पैसो से सुख: और शान्ति प्राप्त नहीं कर सकते : आचार्य पीयूष सागर

अजमेर, (कासं)। रूपयों पैसों से व्यक्ति सुख: और शान्ति को प्राप्त नही कर सकता है। सुख: और शान्ति प्राप्ति के लिये तो मानव को धार्मिक और अध्यात्मिक होना जरूरी है। डॉक्टर, इन्जिनियर, सी.ए. बनने से पहले मनुष्य बनना जरूरी है। करूणा भाव के बिना मानव जीवन मिलना दुर्लभ है। मन कौनसी वस्तु को किस अर्थ में अपने जीवन में समावेश करेगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।

उक्त विचार खरतरगच्छ आचार्य श्री जिन पीयूष सागर जी महारासा ने मंगलवार को श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छाचार्य जिनदत्तसूरि दादाबाड़ी में धर्मसभा को सम्बोधित करते हुये व्यक्त किये। प्रवचन प्रभाविका मंजूला श्रीजी महारासा ने कहा कि हमारा जीवन मकड़ी के जाल की तरह उलझा हुआ है। जब तक व्यक्ति की सोच नही बदलेगी व्यक्ति के मन के भीतर की जटिलता दूर नही होगी। संगठन प्रेरिका शतावधानी साध्वी मनोहरश्रीजी महारासा ने कहा कि व्यवहार घर का शुभ-कलश है और शान्ति घर की महालक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता है। प्रसन्न वह है जो अपने आप का मूल्यांकन करता है, और दूसरों का मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति परेशान है।

धर्मसभा में विक्रम पारख, नरेन्द्र लूणिया, प्रो. महेन्द्र लूणिया, अनिल गोलेच्छा, रिखब सुराना, जयदीप पारख, सतीश बुरड़, दिनेश मेहता, सुनील जैन, ज्ञानचन्द मालू, अरविन्द सिंघवी सहित सैकड़ो धर्मानुयायी उपस्थित थे। धर्मसभा के पश्चात् आचार्य पीयूष सागर सूरिश्वर साध्वी मनोहरश्रीजी साध्वी मंजूलाश्रीजी को प्रो. महेन्द्र इन्दू लूणिया की वैवाहिक वर्षगाठ पर "काम्बली" ओढ़ाकर अभिमान किया।

शिव और सती प्रसंग किया वर्णन

कथावाचक ज्ञानदेव महाराज ने प्रसंग से विश्वास के महत्व को समझाया

अजमेर, (कासं)। शास्त्री नगर भक्त प्रहलाद पार्क संख्या 3 में 7 दिवसीय शिव महापुराण का मंगलवार को कथा वाचक संत ज्ञानदेव महाराज के मुख से विश्वेश्वर संहिता शिव लिंग रहस्य पूजन पार्थिक लिंग पूजन नाम महिमा एवं सतीमोह आदि के प्रसंग को महाराज ने ब्रजभाषा में श्रवण कराकर सभी भक्त जनों को भावविभोर कर दिया। महाराज ने कहा कि श्रीरामचरित मानस के बालकांड में शिव और सती का एक प्रसंग है कि शिव और सती, अगस्त ऋषि के आश्रम में रामकथा सुनने गए थे, सती को यह थोड़ा अजीब लगा कि श्रीराम शिव के आराध्य देव हैं। सती का ध्यान कथा में नहीं रहा और वह यह सोचतीं रहीं कि शिव जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे श्रीराम की कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं। कथा समाप्त हुई और शिव-सती वापस कैलाश पर्वत लौटने लगे। तभी रावण ने माता सीता का हरण किया था, श्रीराम, सीता की खोज में थे।

किन्नरों का शहर से विदाई का दौर शुरू

- अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का औपचारिक समापन

अजमेर (कासं)। आँखों में आभार का भार और पुनर्मिलन की आस लिए सोमवार को देश भर से अजमेर पधारे किन्नरों का घर वापसी का क्रम आरंभ हो गया। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में द टर्निंग पॉइंट पब्लिक स्कूल में आठ दिन तक किन्नरों का मेल मिलाप का दौर चलता रहा। मगर आज जब घर वापसी का सिलसिला शुरू हुआ तो सब तरफ एकता और सौहार्द का नज़ारा देखने को मिला। अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन अजमेर 2025 की आयोजक अजमेर गद्दीपति और सलोनी चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रमुख सलोनी बाई ने सोमवार सुबह से ही देश भर से पधारे किन्नर पंचों और प्रतिनिधियों को राजस्थानी परम्परा अनुसार सीख देकर विदा करना आरम्भ कर दिया। सलोनी बाई ने बताया कि पिछले आठ दिन में किन्नर समाज ने अपने क्षेत्रीय भाव मिटा कर एकता का परिचय दिया। आयोजन में विभन्न राजनितिक दलों, सामजिक संगठनों और संस्थाओं से जुड़े किन्नरों ने एक जाजम पर बैठ कर किन्नरों से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की। रोज शाम को मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गद्दीपति सलोनी बाई ने सोमवार की शाम मीडिया से बात करते हुए शहर के सभी सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों, नगर निगम, पुलिस-प्रशासन और मीडिया का भार व्यक्त किया।

कार्यालय ग्राम पंचायत गोठियाना पंचायत समिति अराई (अजमेर)

क्रमांक- ग्रा. पं. गोठियाना/महानरेगा/निविदा/2024-25/15 दिनांक-24.02.2025

ई- निविदा सूचना संख्या 04/2024-25

ग्राम पंचायत गोठियाना के लिए वित्तिय वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण कार्यो के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.02.2025 को प्रातः 2:30 बजे से दिनांक 03.03.2025 को सायं तक ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http: www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 27.02.2025 को प्रात: 11:00 बजे खोली जायेगी।

NIB NO:- ZAJ2425A1152

UBN NO:- ZA12425SLRC01208

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोठियाना, पं.स. अराँई (अजमेर) — प्रशासक, ग्राम पंचायत गोठियाना, पं.स. अराँई (अजमेर)

NAME CHANGE

I, Army no. 15347847A, HAV, Himmat Singh, residing Simlya (kirtikhal) lansdown U.K have change my Father's name from Umed Singh to Umed Singh Negi & DOB from 20/7/1958 to 20/10/1958 & Mother's name from Sarojni Devi to Sarojani Devi & DOB From 18/10/1963 to 01/01/1965

NAME CHANGE

I Revani Subbu Rathod Father's of Army No. 18023059F, SPR, Dhanapal Revani Rathod R/o Vill.& Po. Kudagi, Teh. Basavan Bagewadi Dist. Vijayapur, Karnataka 586121 have change my Name from Revani Subbu Ratoda to Revani Subbu Rathod Affidavit No. BW753858 Dt. 25/02/2025 before court campus Nasirabad

शहीद भगत सिंह मार्ग से मलबा हटाने

- घटिया सामग्री से सडक़ निर्माण कार्य की शिकायत
- कांग्रेस कमेटी के सचिव मीणा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अजमेर, (कासं)।अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सागर मीणा ने नेतृत्व में रामगंज थाने से सोमलपुर तक जाने वाला रातेस् शहीद भगत सिंह मार्ग के दोनों तरफ मलबे के ढेर को हटाने व लीपा-पोती व घटिया सामग्री उपयोग में लेकर सडक़ निर्माण किए जाने को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा।

सागर मीणा ने बताया कि रामगंज थाने से सोमलपुर तक जाने वाला रास्ता जिसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम से है। इस मार्ग पर दोनों ओर मलबे व कचरे का डेर काफी समय से पड़ा है जिससे सडक़ सकरी व बुरी स्थिति में हो गई है तथा इस मलबे में से आते जाने लोग बदबू से परेषान है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि यह सडक़ का निर्माण किया जा रहा है।

सडक़ निर्माण कार्य में भी खानापूर्ति:मीणा ने बताया कि सडक़ निर्माण के नाम पर केवल मात्र खानापूर्ति की जा रही है जिस सडक़ निर्माण की लाखो रुपए की राषि लगाकर बनाई जा रही है, लेकिन मौके पर स्थिति कुछ ओर ही है जिस सडक़ को पूरी खोदकर बनाना था व जहां गहरे व बड़े खड्डे थे उनमें केवल मिट्टी भरकर रोलर चलाकर लीपा पोती की जा रही है।

जबकि पूरी सडक़ को खोदकर कक्करीट व मिट्टी डालकर रोलर चलाकर उसके बार डामरीकरण करना था क्योंकि राषि जितनी बड़ी है उस तरह का कार्य पूरी सडक़ निर्माण में कही भी नहीं देखा जा रहा है।

सडक़ निर्माण कार्य की हो जांच : कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बताया कि सडक़ निर्माण के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है जिसका खामियाजा वहाँ से गुजरने वाले बड़े व छोटे वाहनो व राहगीरो पर पड़ेगा क्योंकि कुछ समय बाद ही बरसात का मौसम शुरू हो जायेगा। जैसे ही एक दो बरसात हुई इस सडक़ की असलिहत सामने आ जाएगी। इस मार्ग का नाम शहीद भगत सिंह करके ऐसे कार्य से शहीदो का अपमान किया जा रहा है। सचिव सागर मीणा ने जिला कलेक्टर लोकबंधु से सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा दिषा निर्देष देकर उक्त कार्य को करने वाले ठेकेदार को पाबन्द कर उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने व किसी अनुभवी व ईमानदार ठेकेदार को कार्य सौपने की मांग की है।

'प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार'

सरवाड़ । पुलिस थाना परिसर में महाशिवरात्रि सहित अन्य त्योहारों को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित हुई वहीं यह बैठक उपखंड अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई वहीं बैठक में डीवाईएसपी हर्षित शर्मा सरवाड़ थानाधिकारी जगदीश प्रसाद भी मौजूद रहे बैठक में महाशिवरात्रि होली व रंग पंचमी सहित आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन की और से की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई वहीं बैठक में उपखंड अधिकारी तंवर ने कहा कि सभी पर्व आपसी प्रेम व भाईचारे के साथ मनाएं वहीं डीवाईएसपी हर्षित शर्मा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में आमजन को पुलिस का सहयोग करने की अपील की इस दौरान बैठक में भाजपा नेता हरिमोहन शर्मा ने महाशिवरात्रि व होली के पर्व पर अतिरिक्त पेयजल सप्लाई कराने की मांग की।

राजस्थान आवासन मण्डल

विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन मण्डल की अजमेर, किशनगढ़ एव नसीराबाद योजना के निम्नलिखित आवासीय योजनाओं के निम्न वर्णित आवंटियों को मण्डल द्वारा आवास आवंटित हैं। इन आवासों के क्रेताओं ने आवास को अपने पक्ष में नियमितिकरण करने हेतु आवेदन किया हैं। मण्डल द्वारा इन आवासों को मूल आवंटियों के नाम निरस्तीकरण करते हुए इनका नियमितिकरण आवास के क्रेता के पक्ष में किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं। इन प्रस्तावित निरस्तीकरण/नियमितिकरण के विरूद्ध मूल आवंटी अथवा अन्य हितकारी अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहे तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस तक इस कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत कर सकता हैं। अन्यथा यह मानतें हुए की इन आवासों निरस्तीकरण/नियमितिकरण के विरूद्ध किसी को कुछ नहीं कहना हैं बिना किसी अन्य सूचना के अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवास संख्या	मूल आवंटी का नाम	आवेदनकर्ता का नाम
(1) नाका मदार अजमेर			
1	4/71	श्री लक्ष्मण केसवानी	श्री अशोक कुमार जैन
2	4/54	श्रीमती संजू	श्री सचिन जैन
3	2/26-B	श्री किशनलाल धोबी	श्री आशीष शांडिल्य
4	2-F-26	श्री गोपी सिंह	श्रीमती रेखा
(2) किशनगढ़			
1	3-D-62-E, Ph-IV	श्रीमती मधु	श्रीमती अनीता पारीक
2	1-H-14 Ext.	श्री सुरेश कुमार	श्री कमलेश बजाज
1	4-B-70 Ph-IV	श्री राजकुमार लालवानी	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(3) नसीराबाद			
1	6/16	श्री जयकिशन भागनानी	श्री आकाश बैरवा
(4) दौराई, अजमेर			
1	1/94	श्री खुशाल सिंह	श्री तुलसी दास
2	1/70	श्री सुरेश कुमार गुजराती	श्रीमती शान्ति देवी
3	2/42	पूजा माथुर	विजेन्द्र नारायण
(5) अजयनगर, अजमेर			
1	2-ग-20	श्री दातूमल	श्रीमती बीना
(6) गढी थोरियान, ब्यावर			
1	2/27	श्री नरेन्द्र कुमार	श्रीमती भंवरी देवी
2	3/151	मधुबाला	गीता देवी
(7) आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर			
1	1-ज-28	श्री जसवन्त सिंह	श्रीमती पूनम मंगलानी

राज.संवाद/सी/24/12296 — आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन अथॉरिटी राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार ईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर RJ/24/SEAC2(06)/MIN/R.EC/0185 मोहम्मद अनवर वगैरह, रेलवे स्टेशन के पास मकराना, तहसील मकराना, जिला- डीडवाना-कुचामन (पुराना जिला नागौर) को क्यूएल नंबर 239, पहाड़ कुआ रेंज, तहसील मकराना, जिला डीडवाना- कुचामन (पुराना जिला-नागौर), क्षेत्रफल 0.3716 हैक्टेयर, वास्ते खनिज मार्बल Proposal SIA/RJ/MIN/508990/2024 दिनांक 28/11/2024 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति 22/01/2025 को प्रदान कर दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति की प्रति SEIAA एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय पर जन साधारण के लिए उपलब्ध है।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन अथॉरिटी राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार ईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर EC24C0108R.J5607823N द्वारा श्री अब्दुल रसीद वगैरह, रेलवे स्टेशन के पास मकराना, तहसील मकराना, जिला- डीडवाना-कुचामन (पुराना जिला नागौर) को क्यूएल नंबर 239/A, पहाड़ कुआ रेंज, तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन (पुराना जिला - नागौर), क्षेत्रफल 0.3716 हैक्टेयर, वास्ते खनिज मार्बल Proposal No. SIA / RJ / MIN 508942/2024 दिनांक 28/11/2024 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति 17/02/2025 को प्रदान कर दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति की प्रति SEIAA एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय पर जन साधारण के लिए उपलब्ध है।

आम सूचना

मेरी माता भूरी पत्नि स्व. हरजी बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम छोटा लाम्बा की मृत्यु दिनांक 1-1-2008 को मेरे निवास स्थान छोटा लम्बा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी माता भूरी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी- महावीर पुत्र स्व. हरजी बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तह. अरांई (अजमेर)

आम सूचना

मेरा पति मदन पुत्र मंगला रेगर निवासी ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की मृत्यु दिनांक 28 फरवरी 2002 को निवास स्थान पर हो गई। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसील कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को एतराज हो तो 7 दिवस में तहसीलदार के समक्ष दर्ज कराये, बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी-सरजू देवी पत्नी मदन रेगर

शिविर में 283 आशार्थियों का चयन

भीलवाड़ा। जिला रोजगार कार्यालय, भीलवाडा द्वारा मंगलवार को प्रात: 10 बजे से आई.टी.आई, परिसर पुर रोड में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया किया गया। शिविर का शुभारम्भ उपायुक्त, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, राहुल देव, संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रिय कार्यालय, अजमेर, श्याम बाबू माथुर, उप निदेशक, प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा, फैजल खान व जिला रोजगार कार्यालय के उप निदेशक मुकेश गुर्जर द्वारा किया गया। उपनिदेशक रोजगार विभाग मुकेश गुर्जर ने बताया कि शिविर में स्थानीय/गुजरात के निजी नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार लिया जाकर कुल 283 आशार्थियों का प्रारम्भिक चयन किया गया।

आजाद नगर मण्डल मीटिंग आयोजित

भीलवाड़ा। सेन क्षोरकार वेलफेयर सोसायटी भीलवाड़ा की आजाद नगर मण्डल मीटिंग डी सेक्टर पार्क आज़ाद नगर मीटिंग का आयोजन हुआ। संस्था संरक्षक भेरुलाल सेन महेन्द्रगढ़ की अध्यक्षता में हुई। संस्था अध्यक्ष गोविंद सेन ने बताया आजादनगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सेन ने बैठक में सेन क्षोरकार संगठन को मज़बूत करने के लिए अपने विचार बताए। संस्था संस्थापक लादूलाल जी सेन का संस्था सचिव भेरूलाल का दुपट्टा पहनाकर मण्डल सचिव बजरंग सेन ने सम्मान किया। मण्डल कोषाध्यक्ष कैलाश तुक्कडवाल ने नयी सैलून रेटलिस्ट के बारे में जानकारी दी। संस्था सचिव जितेंद्र सेन ने बताया कि बढ़ती महंगाई के दौर में अपने कार्य में नयी रेट लिस्ट के साथ कार्य करे, ताकि सैलून से आमदनी बढ़ायी जा सके। मंडल अध्यक्ष संजय सेन ने नयी रेट लिस्ट के बारे में जानकारी दी व सभी सैलून संचलकों को रेट लिस्ट वितरण की एवं आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई।

रोजगार मेला दिव्यांगजन को आत्म निर्भर बनाने के लिए सकारात्मक पहल-जय प्रकाश

- अपनी पसन्द का रोजगार पाकर खिले दिव्यांगजन के चेहरे

अजमेर, 25 फरवरी (कासं)। राजस्थान महिला कल्याण मण्डल चाचियावास अजमेर, विश्व युवक केन्द्र दिल्ली तथा विभा के द्वारा संयुक्त रूप से पंचशीलनगर स्थित अद्वैत केन्द्र पर दिव्यांगजन के लिए मंगलवार को राज्य स्तरीय विशाल रोजगार मेला आयोजन हुआ, जिसमें 60 से अधिक नियोक्ताओं ने 500 दिव्यांगजन का साक्षात्कार लिया गया एवं 300 दिव्यांगजन को रोजगार के लिए चिन्हित किया।

रोजगार मेले का शुभारंभ सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अजमेर के संयुक्त निदेशक जय प्रकाश चारण के मुख्य आतिथ्य में केजी स्टोन के निदेशक डॉ.कुलदीप शर्मा, विश्व युवक केन्द्र दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर सिंह, सस्टेनेब्लिटी डवलपमेन्ट ऑफिसर रणबीर सिंह, संस्था मुख्यकार्यकारी क्षमा आर कौशिक एवं निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जय प्रकाश चारण ने कहा कि दिव्यांगजन के लिए आयोजित रोजगार मेला उनके जीवन को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल और नवाचार है। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि संस्था द्वारा दिव्यांगजन के लिए यह तीसरा विशाल और राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित हुआ है जिसके माध्यम से विभिन्न होटल- रिसोर्ट, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, रेस्टोरेन्ट, ओटो मोबाईल एवं आई टी कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने दिव्यांगजन की क्षमताओंए रूची एवं कौशल के आधार पर साक्षात्कार लिए एवं रोजगार के लिए चिन्हित किया।

संस्था सचिव एवं मुख्यकार्यकारी क्षमा आर कौशिक ने कहा कि विभिन्न नियोक्ताओं के साथ दिव्यांगजन का सीधा संवाद स्थापित कर दिव्यांगजन को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्था द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि दिव्यांगजन को आत्म निर्भर एवं आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर विश्व युवक केन्द्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय शंकर सिंह, लघु उद्योग भारती महिला ईकाई अजमेर की अध्यक्ष दिव्या सोमानी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर रोजगार मेले में संस्था के तरूण शर्मा, अनुराग सक्सेना, भगवान सहाय शर्मा, नानूलाल प्रजापति, भंवर सिंह गौड़, ईश्वर शर्मा, पदमा चौहान, अंजली सैन गुप्ता, विपुल कंवरिया, प्रेरणा शर्मा, खैरूनिशा शेख, सीमा शर्मा सरोज शर्मा, मीनू स्कूल एवं सीबीआर टीम तथा सागर कॉलेज के स्टूडेन्ट्स आदि ने सहयोग किया।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/2024-25/760 दिनांक: 23/01/2025

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात- क्र.सं. 1- आवेदक का नाम- 1. अजीतकुमार जैन पुत्र घीसालाल हिस्सा- 11/1600 जाति- जैन सा. जयपुर खातेदार 2. कंचन परिहार पत्नि मनोज कुमार हिस्सा- 7/320 जाति- दर्जी सा. विश्वकर्मा मन्दिर के पास शाहपुरा मोहल्ला ब्यावर खातेदार 3. कैलाशचन्द चंडक पुत्र बंशीलाल हिस्सा- 43/3200 जाति- माहेश्वरी सा. राई का बाग जोधपुर खातेदार 4. कविता आहूजा पत्नि गुन्नाराम हिस्सा- 17/800 जाति- आहूजा सा. सेन्दडा तह. रायपुर खातेदार 5. किशनचन्द व्यास पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा- 3/160 जाति- ब्राह्मण सा. निमाज खातेदार 6. छोटूलाल पटेल पुत्र पूनाराम हिस्सा- 41/1600 जाति- कुमावत सा. ग्राम खारचिया बेरा कुशालपुरा रोड निमाज खातेदार 7. जडावदेवी पत्नि हरजीराम हिस्सा- 3/320 जाति- प्रजापत सा. लवाचा तह. रायपुर खातेदार 8. दयावंती गौड पत्नि बुद्धराज गौड हिस्सा- 3/160 जाति- गौड़ सा. इटावडा तह. डेगाना जिला नागौर खातेदार 9. देवेन्द्र कुमार त्यागी पुत्र आदिराम त्यागी हिस्सा- 17/800 जाति- ब्राह्मण सा. ज्योति टैन्ट हाऊस सेन्दडा रोड ब्यावर खातेदार 10. दशरथ सिंह पुत्र सवाई सिंह उदावत हिस्सा- 17/800 जाति- राजपूत सा. लोहती तह. जैतारण खातेदार 11. दिनेश कुमार भाटी पुत्र रामदेव भाटी हिस्सा- 3/80 जाति- माली सा. कृष्णा कॉलोनी ब्यावर खातेदार 12. प्रकाश चन्द नाहर पुत्र धूलचन्द नाहर हिस्सा - 17/1600 जाति- जैन सा. लोकाशाह नगर ब्यावर खातेदार 13. प्रबोध कुमार बंसल पुत्र मोहनलाल बंसल हिस्सा- 1613/9600 जाति अग्रवाल सा. गोपालजी मौहल्ला ब्यावर खातेदार 14. पूसाराम पुत्र केसाराम हिस्सा- 3/400 जाति- कुमावत सा. पैट्रोल पम्प के पीछे जैतारण खातेदार 15. मांगीलाल पुत्र मथुरादास हिस्सा- 61/1600 जाति- साध सा. साधो की ढाणी कुशालपुरा रायपुर खातेदार 16. राजेन्द्र कुमार मारू पुत्र गुलाबचन्द मारू हिस्सा- 11/1600 जाति- जैन सा. जयपुर खातेदार 17. राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 21/1600 जाति- ब्राह्मण, सा. एस डी एम. कोर्ट के सामने जैतारण खातेदार 18. राहुल ओस्तवाल पुत्र राजेन्द्र कुमार ओस्तवाल हिस्सा- 1613/9600 जाति- जैन सा. शांति टावर ब्यावर खातेदार 19. रिखबचन्द जैन पुत्र रतनलाल हिस्सा- 11/1600 जाति- जैन सा. जयपुर खातेदार 20 वन्दना बंसल पत्नि कृष्णगोपाल बंसल हिस्सा- 7/320 जाति- अग्रवाल सा. नवरंगनगर ब्यावर खातेदार 21. शम्भूसिंह जोधा पुत्र विजयसिंह हिस्सा- 3/80 जाति- राजपूत सा. ग्राम डिगरना तह जैतारण खातेदार 22. शिवदास पुत्र मथुरादास हिस्सा 29/800 जाति- साध सा साधो की ढाणी कुशालपुरा रायपुर खातेदार 23 संगीता पत्नि राजेन्द्रकुमार हिस्सा 21/1600 जाति- ब्राह्मण सा. एस डी एम. कोर्ट के सामने जैतारण खातेदार 24. सत्यनारायण चौहान पुत्र कुन्दनमल हिस्सा- 403/4800 जाति माली सा. पारसी कॉलोनी नेहरूनगर ब्यावर खातेदार 25 सत्यनारायण झंवर पुत्र बंशीलाल हिस्सा- 43/3200 जाति- माहेश्वरी सा. सूरत गुजरात खातेदार 28 सीतादेवी पत्नि चुन्नीलाल हिस्सा- 17/400 जाति- कुम्हार (प्रजापति) सा. सेन्दडा तह रायपुर खातेदार 27. सोहनीदेवी पत्नि गौरीशंकर हिस्सा 1/160 जाति प्रजापति सा. प्रताप कॉलोनी ब्यावर खातेदार 28 हनुमान गून्दी पुत्र भोमाराम हिस्सा- 57/1600 जाति- नायक सा. ग्राम बिराटियाकला तह. रायपुर खातेदार 28. हेमलता गौड पत्नि प्रेमराज हिस्सा- 3/160 जाति- गौड सा. इटावडा तह डेगाना जिला नागौर खातेदार 30. हरजीराम पुत्र कालूराम हिस्सा- 3/320 जाति- प्रजापत सा. वाचा तह रायपुर खातेदार 31. हर्षा पत्नि दीपक कुमार हिस्सा- 7/800 जाति- सिन्धी सा. नन्दनगर ब्यावर खातेदार 32. हरिसिंह राठौड पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा- 3/80 जाति- राजपूत सा. याम जनासनी तह जैतारण खातेदार, ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान खसरा नं 344 क्षेत्रफल हैक्टेयर में 0.6475 हैक्टेयर इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर वो अधिन आज दिनांक 23/01/25 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद ब्यावर